HAPUR POLICE

प्रेस नोट

थाना - सिम्भावली **दिनांक 20.09.2025**

- **थाना सिम्भावली पुलिस ने हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी पति को किया गिरफ्तार।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त ने पत्नी के खाने में नशीली गोलियां मिलाकर की थी हत्या।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त ने पत्नी की हत्या कर घटना को छिपाने एवं गुमराह करने के उद्देश्य से थाना सिम्भावली पर दर्ज करायी थी पत्नी की गुमशुदगी।**

कार्यवाही:-

हापुड पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिम्भावली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 299/25 धारा 103(1), 238, 123, 240 बीएनएस में वांछित हत्यारोपी पति को ग्राम वैठ नहर पटरी से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त नशीली गोली बरामद हुई है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी शादी 15 वर्ष पूर्व गुलशन परवीन के साथ हुयी थी। शादी के बाद से हम दोनों के बीच मे अनबन रहती थी। दिनांक 15.09.2025 को हम दोनों के बीच मे झगडा हुआ था, जिससे परेशान होकर मैने अपनी पत्नी गुलशन परवीन को दलिया में नशीली गोलियां मिलाकर दी थी, जिसे खाकर वह बेहोश हो गयी थी फिर मैने उसकी हत्या कर शव को अपने साथी की मदद से रात के समय गांव वैठ कुएं मे डाल दिया था एवं घटना को छिपाने

एवं गुमराह करने के उद्देश्य थाना सिम्भावली पर दिनांक 17.09.2025 को पत्नी गुलशन परवीन की गुमशुदगी दर्ज करा दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मौहम्मद आजाद पुत्र हकीकत ग्राम वैठ थाना सिम्भावली जनपद हापुड।

बरामदगी का विवरणः-

02 कटोरी व 06 नशीली गोली (CLONAZEPAM TABLETS I.P REVOTRIL 0.5 mg)

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 03/2016 धारा 323,376,377,506 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्र सिंह थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
2. उ0नि0 श्री जय इन्द्र जयन्त थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
3. उ0नि0 श्री अभिषेक यादव थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
4. है0का0 226 अरविन्द कुमार थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।